पटना में दिनांक–19 नवम्बर, 2013 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग		
2.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में अधीक्षण अभियंता (असैनिक) वेतनमान्–₹ 37,400–67,000+ग्रेड पे–₹ 8,700 से मुख्य अभियंता (असैनिक) वेतनमान्–₹ 37,400– 67,000+ग्रेड पे–₹ 8,900 के पद पर प्रोन्नति।	2.	स्वीकृत।
	शिक्षा विभाग		
3.	माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित पुस्तकालयाध्यक्षों के नियत मासिक वेतन ₹ 7,500/–(सात हजार पाँच सौ) रूपये मात्र से बढ़ाकर नियत मासिक वेतन ₹ 11,000/–(ग्यारह हजार) रूपये मात्र करने की स्वीकृत के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
	श्रम संसाधन विभाग		
4.	राज्य योजनान्तर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के संगठनात्मक संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 29 अदद पदों के सृजन उनकी शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम अनुभव, आयुसीमा, वेतनमान एवं नियुक्ति तथा वाहन क्रय, ईंधन एवं रख–रखाव हेतु अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव।	4.	स्वीकृत।
	वित्त विभाग		
5.	द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण–2013–14 विधान मंडल के समक्ष एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक (संख्या–4), 2013 विधान सभा के समक्ष उपस्थापित करने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।
	उद्योग विभाग		
6.	मा० झारखंड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा वाद संख्या WP (PIL)-6507/2010 बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम कर्मचारी महासंघ बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में दिये गये निदेश के अनुपालन में वर्ष 2013–14 में बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को गैर योजना से बिहार आकस्मिकता निधि से ₹ 5.50 करोड़ (पाँच करोड़ पचास लाख) अग्रिम एवं समतुल्य राशि सशर्त्त अल्पकालीन ऋण के रूप में भुगतान की स्वीकृति का प्रस्ताव।	6.	स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

7. विद्युत वितरण प्रणाली/सब–ट्रान्समिशन लाईन में उच्चभार वहन क्षमता को विकसित करने हेतु साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के क्षेत्राधीन 67.35 करोड़ रूपये की योजना एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के क्षेत्राधीन 59.22 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को 20.00 करोड़ (बीस करोड़ रूपये) रूपये तथा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को 20.00 करोड़ (बीस करोड़ रूपये) रूपये राज्य योजना से ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

8. पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के अवशेष कार्यों जिसकी लागत रू० 179.20 करोड़ है, के पुनरीक्षित व्यय की स्वीकृति। — 8. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

9. वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम–1972 (संशोधित–2006) की धारा 38 v के प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय संकल्प– 425 (ई०) दिनांक– 07.08.2012 द्वारा अधिसूचित वाल्मीकि व्याघ्र क्षेत्र के कोर एवं बफर क्षेत्रों में संशोधन। — 9. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. सिवान जिलान्तर्गत आन्दर अंचल के मौजा–मीरपुर, थाना सं०–231, खाता सं०–159, खेसरा सं०–42, रकबा– 0. 72 एकड़ गैर मजरूआ मालिक डीह भूमि 29,22,480 रूपये (उनतीस लाख बाईस हजार चार सौ अस्सी रूपये) सलामी एवं सलामी के 2% लगान का 25 गुणा यानि 14,61,240 रूपया (चौदह लाख इकसठ हजार दो सौ चालीस रूपये) पूँजीकृत मूल्य सहित कुल रूपये 43,83,720 (तैंतालीस लाख तिरासी हजार सात सौ बीस रूपये) मात्र के भुगतान पर राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध मे। — 10. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11.	समस्तीपुर जिलान्तर्गत उजियारपुर अंचल के मौजा–दरियापुर पतैली, थाना सं०–228/2, खाता सं०–228 (पुराना), खेसरा सं०–605 पुराना, रकबा–20 (बीस) एकड़ गैरमजरूआ आम, किस्म झील भूमि, जिसका स्वरूप बदल गया है को 64,00,000 (चौसठ लाख) रूपया सलामी एवं 80,00,000 (अस्सी लाख) रूपया पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 1,44,00,000 (एक करोड़ चौवालीस लाख) रूपये के भुगतान पर 220/132/33 के०भी० ग्रीड सब स्टेशन की स्थापना हेतु बिहार स्टेट पावर (ट्राँन्समिशन) कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण।	11.	स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(गव्य विकास)

13.	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के बिहार गव्य संवर्ग में भर्ती/प्रोन्नति को विनियमित करने के लिए बिहार गव्य संवर्ग भर्ती नियमावली, 2013 की स्वीकृति के संबंध में।	13.	स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

14.	आर॰ए॰पी॰डी॰आर॰पी॰ पार्ट–बी के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत 1155.21 करोड़ रूपये की योजना के बदले 1256.15 करोड़ रूपये (यथा साउथ बिहार के 35 चिह्नित शहरों के लिए 908.65 करोड़ रूपये एवं नॉर्थ बिहार के 29 चिह्नित शहरों के लिए 347.50 करोड़ रूपये) की योजना की स्वीकृति एवं पूर्व स्वीकृत योजना राशि का 25 प्रतिशत अर्थात 288.80 करोड़ रूपये पी०एफ०सी० से एवं 50 प्रतिशत राशि अर्थात 577.61 करोड़ रूपये अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति तथा योजना की बढ़ोत्तरी राशि 100.94 (1256.15–1155.21) करोड़ रूपये एवं पूर्व स्वीकृत योजना राशि का 25 प्रतिशत राशि अर्थात 288.80 करोड़ रूपये कुल 389.74 (100.94+288.80) करोड़ रूपये राज्य योजना से ऋण के रूप के स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को 257.63 करोड़ रूपये के विरूद्ध 90.00 करोड़ रूपये एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को 132.11 करोड़ रूपये के विरूद्ध 40.00 करोड़ रूपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	14.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

15.	Urban Transport Scheme को लागू करने तथा सिटी बसों के परिचालन हेतु एक SPV कम्पनी "Bihar Urban Transport Services Ltd." के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	15.	स्वीकृत।